उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-136/2023/3264/तीस-3-2023
लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2023

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री सुरेश चन्द्र यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), प्रथम दल, फतेहपुर सम्प्रति निलम्बित, सम्बद्ध मुख्यालय के विरूद्ध ओवरलोडिग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही न किये जाने, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं रिफक्लेटर टेप न लगे होने पर भी संचालित वाहनों के विरूद्ध जांच/प्रवर्तन कार्यवाही शासन की अपेक्षानुरूप नहीं किये जाने, शिथिल नियंत्रण तथा शासकीय कार्यो/उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1803/ तीस-3-2023, दिनांक 22 जून, 2023 द्वारा निलम्बित कर, विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के सम्पादनार्थ उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय, लखनऊ (श्री सगीर अहमद अंसारी) को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री सुरेश चन्द्र यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), प्रथम दल, फतेहपुर सम्प्रति निलम्बित, सम्बद्ध मुख्यालय के उक्त निलम्बन आदेश को एतदद्वारा समाप्त करते हुए, उन्हें सेवा में बहाल कर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) फिरोजाबाद के रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

श्री सुरेश चन्द्र यादव के विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-136/2023/3264(1)/तीस-3-2023, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(2) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), आगरा।
(5) संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), आगरा।
(6) संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
(7) संबंधित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नव तैनाती पद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
(8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in